# राजस्थान सरकार
## सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग

जी–3/1, अम्बेडकर भवन, राजमहल रेजीडेन्सी क्षेत्र, जयपुर

क्रमांकः–एफ.09(5)(12–11)/सा.सु.पें.नियम/सान्याअवि/2014–15 | 14791 जयपुर, दिनांकः 2/7/15

## आदेश

राजस्थान सामाजिक सुरक्षा वृद्धावस्था, विधवा, परित्यक्ता एवं तलाकशुदा पेंशन नियम 2013 के अध्याय–4 के नियम–5 के उप नियम (i) से (vi) को निम्नानुसार संशोधित/प्रतिस्थापित किया जाता हैः–

नियम–5 आवेदन प्रस्तुत करने एवं पेंशन स्वीकृत करने की प्रक्रियाः–

| उपनियम | विधमान प्रावधान | प्रस्तावित संशोधन |
|---|---|---|
| (i) | आवेदक को किसी भी ई–मित्र कियोस्क/अटल सेवा केन्द्र या स्वयं के SSO (Single Sign On) ID के माध्यम से निर्धारित प्रारूप एसएसपी I (SSP I) में rajssp पोर्टल पर ऑनलाईन आवेदन करना होगा। आवेदक को भामाशाह क्रमांक/भामाशाह पंजीकरण संख्या एवं आधार क्रमांक /आधार पंजीकरण संख्या को उपलब्ध कराना/भरना अनिवार्य होगा, इनके अभाव में आवेदन पत्र स्वीकार्य नही होगा। भामाशाह एवं आधार कार्ड में अंकित आवेदक का व्यक्तिगत विवरण फिंगर प्रिन्ट प्रमाणीकरण/वन टाईम पासवर्ड (OTP) के पश्चात निर्धारित पेंशन आवेदन पत्र में स्वतः ही अंकित हो जायेगा, इसके अतिरिक्त अन्य वांछित विवरण आवेदन पत्र में अंकित करने के पश्चात उक्त आवेदन पत्र को वेबपोर्टल के माध्यम से ऑनलाईन प्रस्तुत (Submit) करने पर आवेदन पत्र स्वतः ही सम्बन्धित जांच अधिकारी को अग्रेषित हो जायेगा। आवेदन पत्र को जांच अधिकारी को अग्रेषित किये जाने की सूचना आवेदक द्वारा रजिस्टर्ड कराये गये मोबाइल नम्बर पर एस.एम.एस. (SMS) द्वारा दी जायेगी। | आवेदक को किसी भी ई–मित्र कियोस्क/**राजीव गांधी सेवा केन्द्र** या स्वयं के SSO (Single Sign On) ID के माध्यम से निर्धारित प्रारूप एसएसपी I (SSP I) में rajssp पोर्टल पर ऑनलाईन आवेदन करना होगा। आवेदक को भामाशाह क्रमांक/भामाशाह पंजीकरण संख्या एवं आधार क्रमांक को उपलब्ध कराना/भरना अनिवार्य होगा, इनके अभाव में आवेदन पत्र स्वीकार्य नही होगा। भामाशाह एवं आधार कार्ड में अंकित आवेदक का व्यक्तिगत विवरण फिंगर प्रिन्ट प्रमाणीकरण/वन टाईम पासवर्ड (OTP) के पश्चात निर्धारित पेंशन आवेदन पत्र में स्वतः ही अंकित हो जायेगा, इसके अतिरिक्त अन्य वांछित विवरण आवेदन पत्र में अंकित करने के पश्चात उक्त आवेदन पत्र को वेबपोर्टल के माध्यम से ऑनलाईन प्रस्तुत (Submit) करने पर आवेदन पत्र स्वतः ही सम्बन्धित जांच अधिकारी को अग्रेषित हो जायेगा। आवेदन पत्र को जांच अधिकारी को अग्रेषित किये जाने की सूचना आवेदक द्वारा रजिस्टर्ड कराये गये मोबाइल नम्बर पर एस.एम.एस. (SMS) द्वारा दी जायेगी। |



Scanned by CamScanner

| | | |
|---|---|---|
| (ii) | विहित प्रारूप में पूर्ण रूप से भरा हुआ ऑनलाईन आवेदन–पत्र प्राप्त होने पर, जांच अधिकारी के स्तर पर रजिस्टर एस.एस.पी. II (SSP-II) के प्रारूप में रिपोर्ट ऑनलाईन सम्बन्धित जांच अधिकारी के लॉगिन–इन पर प्रदर्शित होगी। | विहित प्रारूप में पूर्ण रूप से भरा हुआ ऑनलाईन आवेदन–पत्र प्राप्त होने पर, जांच अधिकारी के स्तर पर रजिस्टर एस.एस.पी. II (SSP-II) के प्रारूप में रिपोर्ट ऑनलाईन सम्बन्धित जांच अधिकारी के लॉगिन–इन पर प्रदर्शित होगी। |
| (iii) | जांच अधिकारी द्वारा उक्त आवेदन पत्र के साथ अपलोड किये गये दस्तावेजों एवं प्रस्तुत की गई अन्य सूचनाओं के आधार पर आवेदक की जन्म तिथि, आयु अधिवास, निवास स्थान और आय या आजीविका के स्त्रोत एवं नियमों में वर्णित अन्य पात्रता की जांच **करने के साथ–साथ यह सुनिश्चित किया जायेगा की उसने पूर्व में पेंशन के लिए कोई आवेदन नही किया था और न ही उसका कोई आवेदन पत्र अस्वीकार ही किया गया था।** जांच अधिकारी आवेदन पत्र की जांच एवं सत्यापन का कार्य पूर्ण करने के पश्चात अपनी सिफारिश के साथ स्वीकृतकर्ता अधिकारी (सम्बन्धित विकास अधिकारी/उपखण्ड अधिकारी) को वेब पोर्टल के माध्यम से ऑनलाईन प्रेषित करेगा। | जांच अधिकारी द्वारा उक्त आवेदन पत्र के साथ अपलोड किये गये दस्तावेजों एवं प्रस्तुत की गई अन्य सूचनाओं के आधार पर आवेदक की जन्म तिथि, आयु, अधिवास, निवास स्थान और आय या आजीविका के स्त्रोत एवं नियमों में वर्णित अन्य पात्रता की जांच करेगा। जांच अधिकारी आवेदन पत्र की जांच एवं सत्यापन का कार्य पूर्ण करने के पश्चात अपनी सिफारिश के साथ स्वीकृतकर्ता अधिकारी (सम्बन्धित विकास अधिकारी/उपखण्ड अधिकारी) को वेब पोर्टल के माध्यम से ऑनलाईन प्रेषित करेगा। |
| (iv) | जांच अधिकारी द्वारा सत्यापन आवश्यक रूप से आवेदन–पत्र की प्राप्ति के अधिकतम 30 दिवस की कालावधि के भीतर पूरा किया जाना आवश्यक होगा। | **राजस्थान लोक सेवाओं के प्रदान की गारण्टी अधिनियम 2011 के तहत** जांच अधिकारी द्वारा आवेदन पत्र की जांच एवं सत्यापन का कार्य आवेदन पत्र की प्राप्ति के अधिकतम 30 दिवस की कालावधि के भीतर पूरा किया जाना आवश्यक है। **जांच अधिकारी/सत्यापन कर्त्ता अधिकारी को निर्धारित समयावधि–30 दिवस से 07 दिवस पूर्व भामाशाह सिस्टम से ई–संचार के माध्यम से एस.एम.एस.–** *"(....नाम.....) का आवेदन क्रमांक (........... .........) की जांच अवधि दिनांक (..........) को समाप्त हो रही है, उसके बाद यह आवेदन स्वतः सत्यापित होकर अग्रेषित हो जाएगा, इसकी पूर्ण जिम्मेदारी आपकी होगी"*– **द्वारा सन्देश भिजवाया जाकर विलम्बित आवेदन पत्रों को सत्यापित/जांच किये जाने हेतु सूचित किया जाएगा। यदि जांच अधिकारी/सत्यापन कर्त्ता अधिकारी द्वारा नियमों में निर्धारित समयावधि (30 दिवस) में नियमानुसार वांछित कार्यवाही नहीं की जाती है तो ऐसे लम्बित आवेदन पत्र स्वतः ही जांच अधिकारी द्वारा "जांच किया** |



Scanned by CamScanner

| | | |
|---|---|---|
| | | **गया"/"सत्यापित किया गया" माना जाकर rajssp पोर्टल सिस्टम से सम्बन्धित स्वीकृत कर्त्ता अधिकारी को स्वतः अग्रेषित हो जायेगा। ऐसे स्वतः अग्रेषित प्रकरणों में यदि किन्ही अपात्र व्यक्तियों का आवेदन पत्र सत्यापित/जांच हो जाने पर स्वीकृतकर्त्ता अधिकारी द्वारा पेंशन स्वीकृत कर दी जाती है तो ऐसे पेंशन स्वीकृत किये जाने एवं भुगतान के प्रकरणों के लिए सम्बन्धित जांच अधिकारी/सत्यापन कर्त्ता अधिकारी की व्यक्तिगत जिम्मेदारी होगी। स्वतः अग्रेषित आवेदन पत्र स्वीकृतकर्ता अधिकारी को पृथक से प्रदर्शित होगे।** |
| (v) | ऑनलाईन आवेदन पत्र प्राप्त होने के उपरान्त स्वीकृतकर्ता अधिकारी प्रत्येक आवेदन पर सावधानीपूर्वक विचार करने के पश्चात या तो प्रारूप एस.एस.पी. I (SSP-I) के भाग III में पेंशन की स्वीकृति या दावे की अस्वीकृति सम्बन्धी आदेश वेब पोर्टल के माध्यम से ऑनलाईन पारित करेगा स्वीकृतिकर्ता अधिकारी द्वारा स्वीकृति के आदेश डिजीटल हस्ताक्षर अथवा आधार आधारित ई–हस्ताक्षर द्वारा सम्बन्धित कोषाधिकारी के नाम जारी किये जायेगे। पेंशन दावा स्वीकृत अथवा अस्वीकृत होने की स्थिति में स्वीकृतकर्ता अधिकारी के स्तर में आवेदक को उसके रजिस्टर्ड मोबाईल पर एस.एम.एस. (SMS) द्वारा सूचना प्रेषित की जायेगी। पेंशन स्वीकृतकर्ता अधिकारी द्वारा ऑनलाईन स्वीकृति आदेश जारी किये जाने से पूर्व यह सुनिश्चित किया जायेगा की आवेदक को पेंशन की स्वीकृति नियमानुसार ही जारी की गई है। स्वीकृतकर्ता अधिकारी द्वारा ऑनलाईन स्वीकृति जारी करने हेतु यूजर लॉगिन या पासवर्ड का स्वयं उपयोग किया जायेगा तथा पासवर्ड किसी के साथ शेयर नही किया जायेगा। यदि यूजर लॉगिन या पासवर्ड का दुरूपयोग होता है तो पेंशन स्वीकृतकर्ता अधिकारी स्वयं उत्तरदायी होगा। पेंशनर एवं जांच अधिकारी को जारी की जाने वाली हार्डकॉपी ऑनलाईन जारी स्वीकृति के | ऑनलाईन आवेदन पत्र प्राप्त होने के उपरान्त स्वीकृतकर्ता अधिकारी प्रत्येक आवेदन पर सावधानीपूर्वक विचार करने के पश्चात या तो प्रारूप एस.एस.पी. I (SSP-I) के भाग III में पेंशन की स्वीकृति या दावे की अस्वीकृति सम्बन्धी आदेश वेब पोर्टल के माध्यम से ऑनलाईन पारित करेगा स्वीकृतिकर्ता अधिकारी द्वारा स्वीकृति के आदेश डिजिटल हस्ताक्षर अथवा आधार आधारित ई–हस्ताक्षर द्वारा सम्बन्धित कोषाधिकारी के नाम जारी किये जायेगे। पेंशन दावा स्वीकृत अथवा अस्वीकृत होने की स्थिति में स्वीकृतकर्ता अधिकारी के स्तर से आवेदक को उसके रजिस्टर्ड मोबाईल पर एस.एम.एस. (SMS) द्वारा सूचना प्रेषित की जायेगी। पेंशन स्वीकृतकर्ता अधिकारी द्वारा ऑनलाईन स्वीकृति आदेश जारी किये जाने से पूर्व यह सुनिश्चित किया जायेगा की आवेदक को पेंशन की स्वीकृति नियमानुसार ही जारी की गई है। स्वीकृतकर्ता अधिकारी द्वारा ऑनलाईन स्वीकृति जारी करने हेतु यूजर लॉगिन या पासवर्ड का स्वयं उपयोग किया जायेगा तथा पासवर्ड किसी के साथ शेयर नही किया जायेगा। यदि यूजर लॉगिन या पासवर्ड का दुरूपयोग होता है तो पेंशन स्वीकृतकर्ता अधिकारी स्वयं उत्तरदायी होगा। पेंशनर एवं जांच अधिकारी को जारी की जाने वाली हार्डकॉपी ऑनलाईन जारी स्वीकृति के अनुरूप होनी चाहिये। इसमें किसी प्रकार का परिवर्तन नही होना चाहिए। ऑनलाईन जारी स्वीकृति के आदेशों के सम्पूर्ण तथ्यों एवं |



Scanned by CamScanner

| | | |
|---|---|---|
| | अनुरूप होनी चाहिये। इसमें किसी प्रकार का परिवर्तन नही होना चाहिए। ऑनलाईन जारी स्वीकृति के आदेशों के सम्पूर्ण तथ्यों एवं उसके नियमानुसार शुद्धता का सम्पूर्ण दायित्व पेंशन स्वीकृतकर्ता अधिकारी का है।<br>पेंशन दावा स्वीकृति अथवा अस्वीकृति से सम्बन्धित कार्य 15 दिवस की अवधि में आवश्यक रूप से पूर्ण किया जाना आवश्यक होगा। | उसके नियमानुसार शुद्धता का सम्पूर्ण दायित्व पेंशन स्वीकृतकर्ता अधिकारी का है।<br>**राजस्थान लोक सेवाओं के प्रदान की गारण्टी अधिनियम 2011 के तहत** पेंशन दावा स्वीकृति अथवा अस्वीकृति से सम्बन्धित कार्य 15 दिवस की अवधि में पूर्ण किया जाना आवश्यक है।<br>**स्वीकृतकर्ता अधिकारी को निर्धारित समयावधि 15 दिवस से 07 दिवस पूर्व एसएमएस–** *"(...नाम....) का आवेदन क्रमांक (........................) की स्वीकृत अवधि दिनांक (...........) को समाप्त हो रही है, उसके बाद यह आवेदन पत्र स्वतः ही स्वीकृत होकर भुगतान कार्यवाही हेतु अग्रेषित हो जाएगा, इसकी पूर्ण जिम्मेदारी आपकी होगी"*– **द्वारा संदेश भिजवाया जाकर विलम्बित आवेदन पत्रों को नियमानुसार स्वीकृत अथवा अस्वीकृत किये जाने हेतु अवगत करवाया जाएगा। यदि स्वीकृतकर्ता अधिकारी द्वारा नियमों में निर्धारित समयावधि (15 दिवस) में नियमानुसार वांछित कार्यवाही नहीं की जाती है तो ऐसे लम्बित आवेदन पत्र स्वतः ही स्वीकृतकर्ता अधिकारी द्वारा जारी किये गये/स्वीकृत किये गये, माना जाकर rajssp पोर्टल सिस्टम से सम्बन्धित जिला कोषाधिकारी/उपकोषाधिकारी को पेंशन भुगतान की कार्यवाही हेतु अग्रेषित हो जायेगा। ऐसे स्वतः ऑनलाईन जारी स्वीकृति के अग्रेषित प्रकरणों के सम्पूर्ण तथ्यों एवं उसके नियमानुसार शुद्धता का सम्पूर्ण दायित्व पेंशन स्वीकृतकर्ता अधिकारी का ही होगा। स्वतः स्वीकृत आवेदन पत्र जिला कोषाधिकारी/उप कोषाधिकारी को पृथक से प्रदर्शित होगे।**<br>**स्वीकृतकर्ता अधिकारी के स्तर पर स्वतः सत्यापित/स्वीकृत हुए आवेदन पत्र के अनुसार भुगतान किये गये पेंशन प्रकरणों की पोस्ट–ऑडिट/सत्यापन हेतु 60 दिवस का समय स्वीकृतकर्ता अधिकारी (ग्रामीण क्षेत्र में विकास अधिकारी एवं शहरी क्षेत्र में उपखण्ड अधिकारी) को प्रदत किया जाता है। इस अवधि में स्वीकृतकर्ता अधिकारी द्वारा स्वतः सत्यापित/स्वीकृत अग्रेषित होकर निस्तारित पेंशन भुगतान के प्रकरणों की जांच एवं जांच में भुगतान गलत/अनियमित पाये जाने पर ऐसे पेंशन प्रकरणों को** |



Scanned by CamScanner

| | | |
|---|---|---|
| | | **निरस्त करते हुए, इन प्रकरणों में किये गये गलत भुगतान के संबंध में संबंधित अधिकारी का उत्तरदायित्व निर्धारित कर राशि वसूल किये जाने की कार्यवाही की जा सकेगी।** |
| (vi) | ऑनलाईन पेंशन स्वीकृति आदेश को ही पेंशन भुगतान आदेश माना जायेगा। ऑनलाईन पेंशन स्वीकृति आदेश प्राप्त होने पर सम्बन्धित जिला कोषाधिकारी/उपकोषाधिकारी द्वारा पेंशन भुगतान करने की कार्यवाही प्रारंभ की जायेगी पेंशन भुगतान आदेश जारी किये जाने एवं पेंशनर को पेंशन भुगतान से सम्बन्धित कार्य 45 दिवस की अवधि में आवश्यक रूप से पूर्ण किया जाना आवश्यक है। **जांच अधिकारी, स्वीकृतकर्ता अधिकारी एवं पेंशन भुगतान अधिकारी द्वारा उपरोक्त वर्णित समयावधि में कार्य पूर्ण नही किये जाने की स्थिति में सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारी राजस्थान लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम–2011 के तहत निर्धारित जुर्माना राशि अदा करने का व्यक्तिगत उत्तरदायी होगा।** | ऑनलाईन पेंशन स्वीकृति आदेश को ही पेंशन भुगतान आदेश माना जायेगा। ऑनलाईन पेंशन स्वीकृति आदेश प्राप्त होने पर सम्बन्धित जिला कोषाधिकारी/उपकोषाधिकारी द्वारा पेंशन भुगतान करने की कार्यवाही प्रारंभ की जायेगी। **पेंशन भुगतान आदेश जारी किये जाने एवं पेंशनर को पेंशन भुगतान से सम्बन्धित कार्य राजस्थान लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम–2011 के तहत 45 दिवस की अवधि में पूर्ण किया जाना आवश्यक है।** |

उक्त संशोधन/प्रतिस्थापन आदेश दिनांक 01.07.2019 से प्रभावी होगा।

**(अखिल अरोरा)**
**प्रमुख शासन सचिव**

D:\stuti goswami\pension order.docx



Scanned by CamScanner

क्रमांकः–एफ.09(5)(12–11)/सा.सु.पें.नियम/सान्याअवि/2014–15/4792–5392 जयपुर, दिनांकः 2/7/19

प्रतिलिपिः– निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. प्रधान महालेखाकार, राजस्थान जयपुर।
2. निजी सचिव, सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान जयपुर।
3. उप सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान जयपुर।
4. विशिष्ठ सहायक, माननीय मंत्री महोदय, सान्याअवि, राजस्थान जयपुर।
5. विशिष्ठ सहायक, माननीय राज्यमंत्री महोदय, सान्याअवि, राजस्थान जयपुर।
6. निजी सचिव,प्रमुख शासन सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग राजस्थान जयपुर।
7. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग राजस्थान जयपुर।
8. निजी सचिव, शासन सचिव वित्त/ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग जयपुर।
9. निजी सचिव, शासन सचिव सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग राजस्थान जयपुर।
10. समस्त संभागीय आयुक्त/जिला कलक्टर/मुख्य कार्यकारी अधिकारी
11. निदेशक, कोष एवं लेखा, राजस्थान जयपुर।
12. अतिरिक्त निदेशक (पेंशन), सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग राजस्थान जयपुर।
13. संयुक्त निदेशक (IFMS), निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान जयपुर।
14. श्री आई.डी वरियानी ,तकनीकी निदेशक एन आई.सी वित्त भवन जयपुर को नियमों के अनुसार पोर्टल पर आवश्यक प्रावधान के साथ विभिन्न स्तर पर लम्बित प्रकरणों में एन आई सी के स्तर से निर्धारित समय सीमा से पूर्व आंकलन कर rajssp.raj.nic.in पर पोर्टल सिस्टम से सम्बन्धित अधिकारियों को उनके मोबाईल नम्बर पर आवश्यक अग्रिम कार्यवाही किये जाने हेतु एस.एम.एस भिजवाये जाने के साथ–साथ स्वीकृतकर्ता अधिकारी के स्तर पर पोस्ट–ऑडिट/सत्यापन हेतु अधिकतम 60 दिवस का समय दिये जाने का प्रावधान भी पोर्टल पर करवाया जाना सुनिश्चित किया जावें।
15. श्री शेखर शुक्ला , प्रमुख प्रणाली विश्लेषक, एन.आई.सी वित्त भवन जयपुर।
16. संयुक्त निदेशक (आई.टी) सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि सिस्टम में इस प्रकार की सुविधा उपलब्ध करवाई जावें कि निर्धारित समयावधि से पूर्व सम्बन्धित अधिकारियों को भामाशाह सिस्टम से ई.संचार के माध्यम से एस.एम.एस. भिजवाये जाने के साथ–साथ स्वीकृतकर्ता अधिकारी के स्तर पर पोस्ट ऑडिट/सत्यापन हेतु अधिकतम 60 दिवस का समय दिये जाने का प्रावधान भी पोर्टल पर करवाये जाने एवं वेबसाईट पर अपलोड करवाने की व्यवस्था सुनिश्चित करवाने हेतु।
17. समस्त जिला कोषाधिकारी।
18. समस्त उपखण्ड अधिकारी/विकास अधिकारी
19. एसीपी. (कम्प्यूटर प्रशाखा) सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग राजस्थान जयपुर।
20. समस्त उप निदेशक/सहायक निदेशक/जिला परीवीक्षा एवं समाज कल्याण अधिकारी, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग राजस्थान जयपुर।
21. आदेश पत्रावली

2.7.19

निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव



Scanned by CamScanner